UPMZ010014172026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुजफफरनगर

उपस्थित : बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 781 सन 2026

दीपक उर्फ गुडडू पुत्र राजकुमार
निवासी मकान नम्बर 48 ग्राम सीमली थाना शाहपुर
जनपद मुजफफरनगर

—आवेदक / अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य —विपक्षी

अपराध संख्या—338 सन 2024
धारा —109 (1), 191 (3), 351 (3), 352
भारतीय दंड संहिता
थाना—छपार
जनपद— मुजफ्फरनगर

17.03.2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक / अभियुक्त उपरोक्त की ओर से थाना छपार के अपराध संख्या—338 सन 2024 धारा —109 (1), 191 (3), 351 (3), 352 भारतीय दंड संहिता के मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदक / अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि उसे इस मामले में रंजिश के कारण झूठा फँसाया गया है। यह भी कहा गया है कि वह प्राथमिकी में नामित नहीं है। उसका नाम सह अभियुक्तगण के बयानों से प्रकाश में आया है। घ ाटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि घटना में किसी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र की चोट नहीं आयी है तथा सह अभियुक्तगण की नियमित जमानतें स्वीकार की जा चुकी हैं। आवेदक / अभियुक्त संभ्रांत परिवार का है तथा उसकी समाज में प्रतिष्ठा है। वह एक स्थाई निवासी है तथा उसके भागने की कोई संभावना नहीं है। अंत में कहा गया है कि आवेदक / अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस प्रकार अग्रिम जमानत स्वीकार करने की मांग की गयी।

2. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा कहा गया कि आवेदक / अभियुक्त के विरूद्व गंभीर प्रकृति के आरोप हैं। इस प्रकार अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए जमानत निरस्त करने की मांग की गयी।

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.03.17 16:58:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3. उभयपक्षों को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा तलबीदा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

4. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निम्न तथ्य विचारणीय हैं :–

1. अभियोग की प्रकृति एवं गंभीरता,

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट की परिस्थिति,

3. अभियुक्त का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि, क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पर पहले ही कारावास भुगत चुका है।

4. न्याय से भागने की संभाव्यता, और

5. जहां अभियुक्त को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो।

6. सामाजिक स्थिति/जांच में सहयोग की प्रवृत्ति।

5. प्राथमिकी के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी मुकदमा मोहित द्वारा घ ाटना दिनांकित 01.12.2024 समय 20.00 बजे के संबंध मे दिनांक 0.12.2024 को समय 23.35 बजे संबंधित थाना छपार पर प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी गयी किदिनांक 1.12.2024 को वह अपने काम से अलीगढ गया हुआ था। उसके परिजन घर पर मौजूद थे कि समय करीब आठ बजे पडौस के रहने वाले अनुराज, प्रवीण अपने सात आठ अज्ञात व्यक्तियों के साथ आया और घर के सामने खडे होकर गाली गलौज करने लगा। जब उसके पिता मुकेश ने इन लोगों को गाली देने से मना किया तो इन लोगों ने एक राय होकर जान से मारने की नीयत से उसके पिता व चाचा पर फायर किये जिससे पिता व चाचा बाल बाल बच गये। गोली दरवाजे में लगी। भीड इकठठा होते देख अभियुक्तगण मौके से भाग गये।

6. इस प्रकार अभियोजन कथानक अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के घर के सामने खडे होकर गाली गलौज करने व मना करने पर वादी मुकदमा के पिता व चाचा पर जान से मारने की नीयत से फायर करने का आरोप बताया गया है। स्वीकृत रूप से घटना में किसी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र की कोई चोट नहीं आयी हैं। आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित भी नहीं है तथा उसका नाम सह अभियुक्तगण के बयान के आधार पर इस मामले में आना कहा जाता है। मामले में वादी मुकदमा मोहित द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अपना शपथ पत्र इस आशय का दिया गया था कि मामले में आवेदक/अभियुक्त घटनास्थल पर नहीं थे न ही घटना में शामिल थे। जिसकी प्रति पूर्व तिथि पर न्यायालय में दाखिल की गयी जिस पर आदेश दिनांकित 07.03.2016 अनुसार संबधित थाने से आख्या आहूत की गयी थी परंतु इस संबंध में किसी प्रकार की कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है। संबधित थाने की आख्या के अनुसार आवेदक/अभियुक्त का इस मामले के अलावा अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति–युक्त आधार मौजूद है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **दीपक उर्फ गुडडू पुत्र राजकुमार** को अंतर्गत अपराध संख्या–338 सन 2024 धारा–109 (1), 191 (3), 351 (3), 352 भारतीय दंड संहिता थाना छपार जनपद मुजफफरनगर के मामले में उसके द्वारा अंकन 50,000/–50,000/–पचास–पचास हजार रूपये के दो विश्वसनीय प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तो के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है :–

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा तलब किये जाने व नियत की गयी तिथियों पर उपस्थित होगा तथा विचारण में सहयेाग करेगा।

2. यह कि आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्ररेणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3. यह कि आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेगा।

4. यह कि आवेदक/अभियुक्त बंध पत्र की शर्तो का कठोर पालन करेगा।

(क) ऐसे व्यक्ति इस आशय के अधीन निष्पादित बंध पत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होगा।

(ख) ऐसे व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

(ग) ऐसे व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण नहीं करेंगे, धमकी या वचन नहीं देंगे या साक्ष्य को नहीं बिगाडेगा।

5. आवेदक/अभियुक्त बंध पत्र दाखिल करेगा–''अभियुक्त विचारण के पूर्ण होंनें के छह माह के अन्दर यदि उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील या याचिका में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होता है, तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।''

6. आवेदक/अभियुक्त विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

7. आवेदक/अभियुक्त इस आशय का एक बंध पत्र दाखिल करेगा कि, वह विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी हाजिर होगा, स्थगन नहीं लेगा। इस शर्त की अवहेलना होने पर संबंधित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि,

संबंधित न्यायालय अभियुक्त द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्व विधिसम्मत आदेश पारित करे।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)

दिनांकः **17**.03.2026

सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर